(161)

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

संख्या – मं०मं०–01/आर०–02/2007 364 ***दिनांक*** 10/3/2009

भारत संविधान के अनुच्छेद–166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या – जी०एस०आर०–03 दिनांक 16 जनवरी, 1979 द्वारा बनाई गई तथा अद्यतन संशोधित बिहार कार्यपालिका नियमावली, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

1. कार्यपालिका नियमावली के नियम 32(क) के अंत में निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाएगा :–

   " परन्तु,

   लोक सभा अथवा विधान सभा के आम चुनाव की घोषणा के बाद और चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक की अवधि के दौरान प्रमंडलों एवं जिलों में पदस्थापित पदाधिकारियों के भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निदेशित स्थानांतरण एवं पदस्थापन के ऐसे मामलों में, जिनमें मुख्यमंत्री का आदेश अन्यथा अपेक्षित है, मुख्यमंत्री स्वविवेक से अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेंगे। "

2. चतुर्थ अनुसूची की कंडिका –(ख)(5) के प्रावधान भी उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएँगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/3/09

(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – मं०मं०–01/आर०–02/2007 364 दिनांक 10/3/2009

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

10/3/09

(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – मं०मं०–01/आर०–02/2007 364 दिनांक 10/3/09

प्रतिलिपि :– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्रिगण के आप्त सचिव/सभी राज्यमंत्री के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/09

(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव